

उपस्थित- अलका यादव

(उत्तर प्रदेश-न्यायिक सेवा)

सं०-3714/2016

सज्जद बशीर लल्लन पुत्र सी० शोहराज

निवासी कोपरगंज थाना रायपुरवा, जिला कानपुर नगर।

धारा-279, 304ए, 427, 338 भा.द.सं.

थाना-बोंगरमठ, जिला- उन्नाव

अपराध संख्या- 33/2001

निर्णय

पुलिस थाना बोंगरमठ, जिला उन्नाव द्वारा धारा 279, 304ए, 427, 338 भा.द.सं. में अभियुक्त लल्लन के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अरोप में प्रार्थी का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी राज नारायण व उसके साथी के सतीश चंद्र तथा पास के ग्राम के सराय अख्तयारपुर के मोहन लाल व प्रेम शंकर व लक्ष्मी नारायण सभी तीन दिनांक 29.07.2001 का जीप से हरदोई की तरफ जा रहे थे जब जीप नारिसापुर गाँव के पास पुलिया के निकट 10 बजे दिन में पहुँची तो सामने में मोदी व लापरवाही से सलाह हुये ट्रक ने जीप में टक्कर मार दी जिससे जीप में बैठे सभी तीन की मृत्यु हो गयी व प्रार्थी, मोहन लाल, प्रेम शंकर, लक्ष्मी नारायण व जीप चालक अज्ञात स्थान पर गम्भीर चोटें आईं।

प्राची मुकदमा के तहरीर प्रदर्श क-1 आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज की गयी, जिसका इन्दाज जी.डी. में किया गया। मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी, जिसमें नवाह के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तथा जीप अभियुक्त लल्लन के विरुद्ध विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 279, 304ए, 427, 338 भा.द.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अभियुक्त गिरीश के विरुद्ध धारा 279, 338, 304ए, 427 भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया तथा उसे जरिदत सम्मन तलेब के माध्यम से अभियुक्त और उत्प्रेत हाजिर आया, उस नकले दी गयी।

अभियुक्त लल्लन के विरुद्ध धारा 279, 338, 304ए, 427 भा.द.सं. के अन्तर्गत बयान मुकदमा प्रेषित किये, गया। अभियुक्त ने घटना का गलत कहा है और मुकदमा गलत चल रहा है और अपने बयान में कहा है कि विचारण चाहता है।

अभियुक्त की तरफ से साक्षी पी.डब्ल्यू-1 प्रेम शंकर, पी.डब्ल्यू-2 लक्ष्मी नारायण व पी.डब्ल्यू-3 मोहन लाल को परीक्षित कराया गया है।

(१)

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के उपरोक्त अभियुक्त का बयान, अन्तर्गत धारा 313 अंकित किया गया। अभियुक्त ने उपरोक्त घटना को गलत आरोप होना, गवाहान द्वारा दी गयी गवाही में कुछ नती कहना अपनी सफाई साक्ष्य न देने और अपने अन्य कथन में कुछ नहीं बता है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उभलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू-1 प्रेम शंकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 21.07.2001 को वह जीप से समग्र करीब 10 बजे दिन बोंगरमत्त से हरदोई जा रहा था। जब जीप नासिरपुर के पास पहुँची तो सामने से एक ट्रक चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और जीप में टक्कर मार दिया। टक्कर से जीप में बैठे सतीश चन्द्र को गम्भीर चोट आया जिनकी गीब पर ही मृत्यु हो गयी तथा अन्य सवारियों को व उसे भी चोट आयी। ममूली चोट होने के कारण उसने उसने डाक्टरी मुआइना नहीं कराया था, केवल गरहम पट्टी कर लिया था। ट्रक चालक मँके से ट्रक लेकर भाग गया। उसने दरोगा जी को बयान दिया था। उसने ट्रक का नम्बर व ट्रक चालक को नहीं देख पाया था।

उक्त गवाह से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि जिस गार्ड ने एक्सीडेंट हुआ था, उसका नम्बर याद नहीं है। वाहन कौन चला रहा था याद नहीं है। सामने आने पर ड्राइवर को पहचान नहीं सकता। उसने घटना कारित करने वाले को देखा नहीं। मुकदमा लिखाते समय वह थाने नहीं गया था। राज नरायन वादी मुकदमा ने ट्रक नम्बर कैसे लिखाया उस नहीं पता। यह कहना गलत है कि उसने कोई घटना न देखी हो और यह झूठा मुकदमा लिखाया गया हो।

साक्षी पी.डब्लू-2 लक्ष्मी नरायन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने कोई दुर्घटना होते न देखा है और न सुना है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह ने विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि उसने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता।

साक्षी पी.डब्लू-3 मोहन लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 29.07.2001 को दिन में 10 बजे उसने किसी जीप से दुर्घटना होते न देखा है और न सुना है। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस गवाह ने विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में यह साक्ष्य दिया है कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था।

उपरोक्त साक्षी शेष दो साक्ष्य का समग्र परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि साक्षी पी.डब्लू-1 ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथन का समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया

122
 परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी की पेशे वरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में पर्याप्त विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेशीकृत अन्य साक्षी गण पीडब्लू-2 व पीडब्लू-3 को अभियोजन कथानक का समर्थन करने पर अभियोजन द्वारा बसटोही घोषित किया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी है, किन्तु मात्र औपचारिकता स्वीकार कर लेना टैम्पसिद्ध का आधार नहीं हो सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, अभियोजन पक्ष अभियुक्त जल्लन के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 338, 427, 304ए भारतीय दण्ड संहिता युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है। अतः अभियुक्त जल्लन को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त जल्लन को संदेह का लाभ देते हुये धारा 279, 338, 304ए, 427 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। उसके बंधपत्र व जमानतनामों निरस्त किया जाता है तथा जमानतदाता को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त को धारा 437ए द.प्र.सं. के अनुपालन में 15 हजार के एक प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बंध पत्र एवं अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु अर्द्ध रास दिन दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाता है।

दिनांक 15.05.2019

(अलका श्रीवास्तव) 15/05/19
 प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 उन्नाव।

निर्गम अर्द्ध खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर व दिनांक 15/05/19 को सुनवाई मिला।

दिनांक 15.05.2019

(अलका श्रीवास्तव) 15/05/19
 प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 उन्नाव।